

मेसर्स सिटेल इंटरनेशनल प्रा. लिमिटेड- एसईजेड के आईटी-आईटीईएस सेक्टर के विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विकास आयुक्त सीपू-एसईजेड, मुंबई की अध्यक्षता में 01.07.2026 को आयोजित अनुमोदन समिति की 61 वीं बैठक का विवरण।		
1	सेज का नाम	मेसर्स सिटेल इंटरनेशनल प्रा. लिमिटेड- एसईजेड
2	सेक्टर	आईटी/आईटीईएस
3	बैठक क्र.	61 वीं
4	तारीख	01.07.2026

उपस्थित सदस्य:

क्र.	नाम एवं पदनाम(श्री/ श्रीमती)	विभाग
1	श्रीमती मितल हिरेमठ, संयुक्त विकास आयुक्त	पुणे क्लस्टर एसईजेड, पुणे
2	श्री. अभिनव राठी उप आयुक्त, आयकर विभाग	आयकर विभाग से नामित
3	श्री. संजीव पाटिल, उद्योग अधिकारी, पुणे क्षेत्र	महाराष्ट्र सरकार से नामित
4	श्री. प्लेटो लोबो, सहायक विदेश व्यापार महानिदेशक	पुणे डीजीएफटी विभाग से नामित
5	श्री. नवनाथ अवताडे, उप क्षेत्रीय अधिकारी	महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नामित
6	श्री. प्रशांत रोहणेकर, अधीक्षक	सीमा शुल्क विभाग, पुणे से नामित

विशेष आमंत्रित :

क्र.	नाम एवं पदनाम(श्री/ श्रीमती)	विभाग
1	श्री. शम्भू दयाल मीना, विनिर्दिष्ट अधिकारी	सीपू-एसईजेड, पुणे क्लस्टर

एजेंडा विषय क्र. 01: दि. 07.05.2026 को आयोजित 60 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 07.05.2026 को आयोजित 60 वीं अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

एजेंडा विषय क्र. 02: दि. 07.05.2026 को आयोजित 60 वीं बैठक के कार्यवृत्त के लिए की गई कार्रवाई रिपोर्ट ।

विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 07.05.2026 को आयोजित बैठक के लिए की गई कार्रवाई रिपोर्ट नोट की है।

एजेंडा विषय क्र. 03: मेसर्स सिटेल प्राइवेट लिमिटेड (LOA SL-03) के प्रदर्शन की निगरानी ।

विचार-विमर्श के बाद, समिति ने एसईजेड नियम, 2006 के नियम 54 के अनुसार, तृतीय ब्लॉक अवधि (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28) के दो वर्ष यानी वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इकाई के प्रदर्शन को नोट किया। विवरण इस प्रकार है:

- इकाई ने तीसरे ब्लॉक अवधि के दो वर्षों में यानी वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2025-26 तक, **486.06 करोड़ रुपये** के अनुमानित निर्यात के मुकाबले **332.19 करोड़ रुपये** का निर्यात राजस्व प्राप्त किया है।
- इकाई ने तीसरे ब्लॉक अवधि के तीन वर्षों में यानी वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक, संचयी आधार पर **693.37 करोड़ रुपये** के अनुमानित एनएफई के मुकाबले **734.78 करोड़ रुपये** अर्थात **105.97%** का सकारात्मक एनएफई प्राप्त किया है।
- इकाई ने दिनांक 31.03.2026 तक **311 (पुरुष-214, महिला-97)** रोजगार सृजित किया है।
- समिति ने यह भी पाया कि इकाई ने विदेशी मुद्रा के बजाय भारतीय रुपये में प्राप्त भुगतान के बदले स्वदेशी टैरिफ क्षेत्र (DTA) में सेवाएं प्रदान की हैं, जैसा कि नीचे बताया गया है:

वर्ष	राशि करोड़ रुपये में
2024-25	0.076

चूँकि स्वदेशी टैरिफ क्षेत्र (DTA) में भारतीय रुपये (INR) में प्राप्त भुगतान के विरुद्ध प्रदान की गई सेवाएँ, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 2(z) में दी गई "सेवाओं" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती हैं, अतः समिति ने यह पाया कि इकाई द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम एवं नियम तथा विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। तदनुसार, समिति ने इकाई को कारण बताओ सूचना (Show Cause Notice) जारी करने के निर्देश दिए।

एजेंडा विषय क्र. 04: मेसर्स सिन्टेल प्राइवेट लिमिटेड (LOA-26) के प्रदर्शन की निगरानी।

विचार-विमर्श के बाद, समिति ने एसईजेड नियम, 2006 के नियम 54 के अनुसार, चौथे ब्लॉक अवधि (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28) के तीन वर्ष यानी वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक के लिए इकाई के प्रदर्शन नोट किया। विवरण इस प्रकार है:

- इकाई ने चौथे ब्लॉक अवधि के तीन वर्षों में यानी वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक, **123.71 करोड़ रुपये** के अनुमानित निर्यात के मुकाबले **127.74 करोड़ रुपये** का निर्यात राजस्व प्राप्त किया है।
- इकाई ने चौथे ब्लॉक अवधि के तीन वर्षों में यानी वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक, संचयी आधार पर **101.80 करोड़ रुपये** के अनुमानित एनएफई के मुकाबले **120.74 करोड़ रुपये** अर्थात **118.60%** का सकारात्मक एनएफई प्राप्त किया है।
- इकाई ने दिनांक 31.03.2026 तक **91 (पुरुष-69, महिला-22)** रोजगार सृजित किया है।
- समिति ने यह भी पाया कि इकाई ने विदेशी मुद्रा के बजाय भारतीय रुपये में प्राप्त भुगतान के बदले स्वदेशी टैरिफ क्षेत्र (DTA) में सेवाएं प्रदान की हैं, जैसा कि नीचे बताया गया है:

वर्ष	राशि करोड़ रुपये में
2023-24	0.77
2024-25	0.0987
Total	0.8687

चूँकि स्वदेशी टैरिफ क्षेत्र (DTA) में भारतीय रुपये (INR) में प्राप्त भुगतान के विरुद्ध प्रदान की गई सेवाएँ, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 2(z) में दी गई "सेवाओं" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती हैं, अतः समिति ने यह पाया कि इकाई द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम एवं नियम तथा विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। तदनुसार, समिति ने इकाई को कारण बताओ सूचना (Show Cause Notice) जारी करने के निर्देश दिए।

एजेंडा विषय क्र. 05: मेसर्स सिन्टेल प्राइवेट लिमिटेड (LOA-05) के प्रदर्शन की निगरानी।

विचार-विमर्श के बाद समिति ने एसईजेड नियम, 2006 के नियम 54 के अनुसार, इकाई के तीसरे ब्लॉक अवधि (वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29) के दो वर्ष यानी वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रदर्शन नोट किया। विवरण इस प्रकार है:

- इकाई ने तीसरे ब्लॉक अवधि के दो वर्षों में यानी वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2025-26 तक **19.16 करोड़ रुपये** के अनुमानित निर्यात के मुकाबले **13.59 करोड़ रुपये** का निर्यात राजस्व प्राप्त किया है।
- इकाई ने तीसरे ब्लॉक अवधि के दो वर्षों में यानी वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2025-26 तक संचयी आधार पर **17.29 करोड़ रुपये** के अनुमानित एनएफई के मुकाबले **12.81 करोड़ रुपये** अर्थात **74.09%** का सकारात्मक एनएफई प्राप्त किया है।
- इकाई ने दिनांक 31.03.2026 तक **22 (पुरुष-15, महिला-07)** रोजगार सृजित किया है।
- समिति ने यह भी पाया कि इकाई ने विदेशी मुद्रा के बजाय भारतीय रुपये में प्राप्त भुगतान के बदले स्वदेशी टैरिफ क्षेत्र (DTA) में सेवाएं प्रदान की हैं, जैसा कि नीचे बताया गया है:

वर्ष	राशि करोड़ रुपये में
2024-25	0.0045

चूँकि स्वदेशी टैरिफ क्षेत्र (DTA) में भारतीय रुपये (INR) में प्राप्त भुगतान के विरुद्ध प्रदान की गई सेवाएँ, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 2(z) में दी गई "सेवाओं" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती हैं, अतः समिति ने यह पाया कि इकाई द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम एवं नियम तथा विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। तदनुसार, समिति ने इकाई को कारण बताओ सूचना (Show Cause Notice) जारी करने के निर्देश दिए।

एजेंडा विषय क्र. 06: मेसर्स सिन्टेल प्राइवेट लिमिटेड (LOA-06) के प्रदर्शन की निगरानी।

विचार-विमर्श के बाद, समिति ने एसईजेड नियम, 2006 के नियम 54 के अनुसार, के दूसरे ब्लॉक अवधि (वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2026-27) के दो वर्ष यानी वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रदर्शन नोट किया। विवरण इस प्रकार है:

- इकाई ने दूसरे ब्लॉक अवधि के दो वर्षों में यानी वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2025-26 तक, **406.78 करोड़ रुपये** के अनुमानित निर्यात के मुकाबले **116.60 करोड़ रुपये** का निर्यात राजस्व प्राप्त किया है।
- इकाई ने दूसरे ब्लॉक की अवधि के चार वर्षों में अर्थात वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 तक संचयी आधार पर **793.28 करोड़ रुपये** के अनुमानित एनएफई के मुकाबले **406.28 करोड़ रुपये** अर्थात **51.21%** का सकारात्मक एनएफई प्राप्त किया है।
- इकाई ने दिनांक 31.03.2026 तक **131 (पुरुष-105, महिला-26)** रोजगार सृजित किया है।
- समिति ने यह भी पाया कि इकाई ने विदेशी मुद्रा के बजाय भारतीय रुपये में प्राप्त भुगतान के बदले स्वदेशी टैरिफ क्षेत्र (DTA) में सेवाएं प्रदान की हैं, जैसा कि नीचे बताया गया है:

वर्ष	राशि करोड़ रुपये में
2024-25	0.0553
2025-26	0.0234
Total	0.0787

चूँकि स्वदेशी टैरिफ क्षेत्र (DTA) में भारतीय रुपये (INR) में प्राप्त भुगतान के विरुद्ध प्रदान की गई सेवाएँ, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 2(z) में दी गई "सेवाओं" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती हैं, अतः समिति ने यह पाया कि इकाई द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम एवं नियम तथा विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। तदनुसार, समिति ने इकाई को कारण बताओ सूचना (Show Cause Notice) जारी करने के निर्देश दिए।

एजेंडा विषय क्र. 07: मेसर्स सिन्टेल प्राइवेट लिमिटेड (LOA DDPL-03) के प्रदर्शन की निगरानी।

विचार-विमर्श के बाद, समिति ने SEZ नियम, 2006 के नियम 54 के अनुसार, इकाई के तीसरे ब्लॉक अवधि (वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24) के पाँचवें वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2023-24 और चौथे ब्लॉक अवधि (वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29) के दो वर्ष यानी वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रदर्शन नोट किया। विवरण इस प्रकार है:

- इकाई ने तीसरे ब्लॉक अवधि के पाँचवें वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2023-24 में **336.44 करोड़ रुपये** के अनुमानित निर्यात के मुकाबले **143.59 करोड़ रुपये** का निर्यात राजस्व प्राप्त किया है।
- इकाई ने तीसरे ब्लॉक की अवधि के पाँचवें वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2023-24 में संचयी आधार पर **1471.01 करोड़ रुपये** के अनुमानित एनएफई के मुकाबले **1284.66 करोड़ रुपये** अर्थात **87.33%** का सकारात्मक एनएफई प्राप्त किया है।
- इकाई ने चौथे ब्लॉक अवधि के दो वर्षों में यानी वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2025-26 तक, **185.30 करोड़ रुपये** के अनुमानित निर्यात के मुकाबले **205.66 करोड़ रुपये** का निर्यात राजस्व प्राप्त किया है।
- इकाई ने चौथे ब्लॉक अवधि के दो वर्षों में यानी वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2025-26 तक, संचयी आधार पर **179.94 करोड़ रुपये** के अनुमानित एनएफई के मुकाबले **193.80 करोड़ रुपये** अर्थात **107.70%** का सकारात्मक एनएफई प्राप्त किया है।
- इकाई ने दिनांक 31.03.2026 तक **293 (पुरुष-235, महिला-58)** रोजगार सृजित किया है।

- समिति ने यह भी पाया कि इकाई ने विदेशी मुद्रा के बजाय भारतीय रुपये में प्राप्त भुगतान के बदले स्वदेशी टैरिफ क्षेत्र (DTA) में सेवाएं प्रदान की हैं, जैसा कि नीचे बताया गया है:

वर्ष	राशि करोड़ रुपये में
2023-24	1.7482
2024-25	0.5533
Total	2.3015

चूँकि स्वदेशी टैरिफ क्षेत्र (DTA) में भारतीय रुपये (INR) में प्राप्त भुगतान के विरुद्ध प्रदान की गई सेवाएँ, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 2(z) में दी गई "सेवाओं" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती हैं, अतः समिति ने यह पाया कि इकाई द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम एवं नियम तथा विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। तदनुसार, समिति ने इकाई को कारण बताओ सूचना (Show Cause Notice) जारी करने के निर्देश दिए।

एजेंडा विषय क्र. 08: मेसर्स एम्प्लस सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड के प्रदर्शन की निगरानी।

विचार-विमर्श के बाद, समिति ने एसईजेड नियम, 2006 के नियम 54 के अनुसार, पहले ब्लॉक अवधि के पाँच वर्ष यानी वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक के लिए इकाई के प्रदर्शन नोट किया। विवरण इस प्रकार है:

- इकाई ने पहले ब्लॉक अवधि के पाँच वर्षों में यानी वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक, **1.81 करोड़ रुपये** के अनुमानित निर्यात के मुकाबले **1.34 करोड़ रुपये** का निर्यात राजस्व प्राप्त किया है।
- इकाई ने पहले ब्लॉक अवधि के पाँच वर्षों में यानी वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक, संचयी आधार पर **0.70 करोड़ रुपये** के अनुमानित एनएफई के मुकाबले **1.34 करोड़ रुपये** अर्थात् **191.42%** का सकारात्मक एनएफई प्राप्त किया है।
- इकाई ने दिनांक 31.03.2026 तक **01 (पुरुष-01, महिला-00)** रोजगार सृजित किया है।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

Minutes of the 61 st Meeting of the Approval Committee held under the Chairmanship of Zonal Development Commissioner SEEPZ-SEZ for Sector Specific Special Economic Zone for IT-ITES of M/s. Syntel International Pvt. Ltd., Pune held on 01.07.2026		
1	Name of the SEZ	M/s. Syntel International Pvt. Ltd., Pune.
2	Sector	IT-ITES
3	Meeting No.	61 st
4	Date	01.07.2026

Members present:

Sr No	Name and Designation (Smt/Shri.)	Department
1	Smt. Mital Hiremath, Jt. Development Commissioner	Pune Cluster SEZ, Pune
2	Shri. Abhinav Rathi, Dy. Commissioner, Income Tax	Nominee of Income Tax, Pune
3	Shri. Sanjiv Patil, Industries Officer, Pune Region	Nominee of Govt. of Maharashtra
4	Shri. Plato Lobo, Asstt. Director General of Foreign Trade	Nominee of DGFT, Pune
5	Shri. Navanath Awatade, Sub Regional Officer	Nominee of Maharashtra Pollution Control Board
6	Shri. Prashant Rohanekar, Superintendent	Nominee of Customs, Pune

Special Invitee:

Sr	Name and Designation	Department
1	Shri. Shambhu Dayal Meena, Specified Officer	SEEPZ-SEZ, Pune Cluster

Agenda Item No. 01: Confirmation of Minutes of the 60th meeting held on 07.05.2026.

After deliberation, the Committee confirmed the minutes of the 60th meeting of the Approval Committee held on 07.05.2026.

Agenda Item No. 02: Action taken report for the Minutes of the 60th meeting held on 07.05.2026.

After deliberation, the Committee noted the Action taken report for the meeting held on 07.05.2026.

Agenda Item No. 03: Monitoring of Performance for M/s. Syntel Private Limited (LOA SL-03).

After deliberation, the committee noted the performance of the unit for 2 years i.e. FY 2024-25 and FY 2025-26 of the 3rd Block period (FY 2023-24 to FY 2027-28), in terms of Rule 54 of SEZ Rules, 2006. The details are as under :

- The Unit has achieved export revenue of **Rs. 332.19 Crores** as against projected export of **Rs. 486.06 Crores** in the 2 years i.e. FY 2024-25 & FY 2025-26 of the 3rd Block period (FY 2023-24 to FY 2027-28).
- The unit has achieved a Positive NFE of **Rs. 734.78 Crores** as against projections of **Rs. 693.37 Crores** i.e. **105.97%** on Cumulative basis in 3 years i.e. FY 2023-24 to FY 2025-26 of the 3rd Block period (FY 2023-24 to FY 2027-28).

- The unit has achieved employment of **311 employees** (Men-214, Women-97) as on 31.03.2026.
- The Committee further observed that the Unit had provided services in the Domestic Tariff Area (DTA) against payment received in Indian Rupees (INR) instead of foreign exchange, as detailed below:

Year	Amount in INR in Crs.
2024-25	0.076

Since providing of Services in DTA against payment received in INR does not qualify as “Services” as per definition given in Section 2(z) of the SEZ Act, 2005, the Committee noticed that the unit had contravened the provisions of the SEZ Act / Rules and Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 and directed to issue a Show Cause Notice to the unit.

Agenda Item No. 04: Monitoring of Performance for M/s. Syntel Private Limited (LOA-26).

After deliberation, the committee noted the performance of the unit for 3 years i.e. FY 2023-24 to FY 2025-26 of the 4th Block period (FY 2023-24 to FY 2027-28), in terms of Rule 54 of SEZ Rules, 2006. The details are as under:

- The Unit has achieved export revenue of **Rs. 127.74 Crores** as against projected export of **Rs. 123.71 Crores** in 3 years i.e. FY 2023-24 to FY 2025-26 of the 4th Block period.
- The unit has achieved a Positive NFE of **Rs. 120.74 Crores** as against the projections of **Rs. 101.80 Crores** i.e. **118.60%** on Cumulative basis in 3 years i.e. FY 2023-24 and FY 2025-26 of the 4th Block period (FY 2023-24 to FY 2027-28).
- The unit has achieved employment of **91 employees (Men-69, Women-22)** as on 31.03.2026.
- The Committee further observed that the Unit had provided services in the Domestic Tariff Area (DTA) against payment received in Indian Rupees (INR) instead of foreign exchange, as detailed below:

Year	Amount in INR in Crs.
2023-24	0.77
2024-25	0.0987
Total	0.8687

Since providing of Services in DTA against payment received in INR does not qualify as “Services” as per definition given in Section 2(z) of the SEZ Act, 2005, the Committee noticed that the unit had contravened the provisions of the SEZ Act / Rules and Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 and directed to issue a Show Cause Notice to the unit.

Agenda Item No. 05: Monitoring of Performance for M/s. Syntel Private Limited (LOA-05).

After deliberation, the committee noted the performance of the unit for 2 years i.e. FY 2024-25 & FY 2025-26 of the 3rd Block period (FY 2024-25 to FY 2028-29), in terms of Rule 54 of SEZ Rules, 2006. The details are as under:

- The Unit has achieved export revenue of **Rs. 13.59 Crores** as against projected export of **Rs. 19.16 Crores** in 2 years i.e. FY 2024-25 & FY 2025-26 of the 3rd Block period (FY 2024-25 to FY 2028-29).

- The unit has achieved a Positive NFE of **Rs. 12.81 Crores** as against projections of **Rs. 17.29 Crores** i.e. **74.09%** on cumulative basis in 2 years i.e. FY 2024-25 & FY 2025-26 of the 3rd Block period (FY 2024-25 to FY 2028-29).
- The unit has achieved employment of **22 employees (Men-15, Women-07)** as on 31.03.2026.
- The Committee further observed that the Unit had provided services in the Domestic Tariff Area (DTA) against payment received in Indian Rupees (INR) instead of foreign exchange, as detailed below:

Year	Amount in INR in Crs.
2024-25	0.0045

Since providing of Services in DTA against payment received in INR does not qualify as “Services” as per definition given in Section 2(z) of the SEZ Act, 2005, the Committee noticed that the unit had contravened the provisions of the SEZ Act / Rules and Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 and directed to issue a Show Cause Notice to the unit.

Agenda Item No. 06: Monitoring of Performance for M/s. Syntel Private Limited (LOA-06).

After deliberation, the committee noted the performance of the unit for 2 years i.e. FY 2024-25 & FY 2025-26 of the 2nd Block period (FY 2022-23 to FY 2026-27), in terms of Rule 54 of SEZ Rules, 2006. The details are as under:

- The Unit has achieved export revenue of **Rs. 116.60 Crores** as against projected export of **Rs. 406.78 Crores** in 2 years i.e. FY 2024-25 & FY 2025-26 of the 2nd Block period (FY 2022-23 to FY 2026-27).
- The unit has achieved a Positive NFE of **Rs. 406.28 Crores** as against the projections of **Rs. 793.28 Crores** i.e. 51.21% on cumulative basis in 4 years i.e. FY 2022-23 to FY 2025-26 of 2nd Block period (FY 2022-23 to FY 2026-27).
- The unit has achieved employment of **131 employees (Men-105, Women-26)** as on 31.03.2026.
- The Committee further observed that the Unit had provided services in the Domestic Tariff Area (DTA) against payment received in Indian Rupees (INR) instead of foreign exchange, as detailed below:

Year	Amount in INR in Crs.
2024-25	0.0553
2025-26	0.0234
Total	0.0787

Since providing of Services in DTA against payment received in INR does not qualify as “Services” as per definition given in Section 2(z) of the SEZ Act, 2005, the Committee noticed that the unit had contravened the provisions of the SEZ Act / Rules and Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 and directed to issue a Show Cause Notice to the unit.

Agenda Item No. 07: Monitoring of Performance for M/s. Syntel Private Limited (LOA DDPL-03).

After deliberation, the committee noted the performance of the unit for 5th year i.e. FY 2023-24 of 3rd Block period

(FY 2019-20 to FY 2023-24) and 2 years i.e. FY 2024-25 & FY 2025-26 of the 4th Block period (FY 2024-25 to FY 2028-29), in terms of Rule 54 of SEZ Rules, 2006. The details are as under:

- The Unit has achieved export revenue of **Rs. 143.59 Crores** as against projected export of **Rs. 336.44 Crores** in the 5th year i.e. FY 2023-24 of the 3rd Block period (FY 2019-20 to FY 2023-24).
- The unit has achieved a Positive NFE of **Rs. 1284.66 Crores** as against the projections of **Rs. 1471.01 Crores** i.e. **87.33%** on cumulative basis in 5th year i.e. FY 2023-24 of the 3rd Block period (FY 2019-20 to FY 2023-24).
- The Unit has achieved export revenue of **Rs. 205.66 Crores** as against projected export of **Rs. 185.30 Crores** in the 2 years i.e. FY 2024-25 & FY 2025-26 of the 4th Block period (FY 2024-25 to FY 2028-29).
- The unit has achieved a Positive NFE of **Rs. 193.80 Crores** as against the projections of **Rs. 179.94 Crores** i.e. **107.70%** on cumulative basis in 2 years i.e. FY 2024-25 & FY 2025-26 of the 4th Block period (FY 2024-25 to FY 2028-29).
- The unit has achieved employment of **293 employees (Men-235, Women-58)** as on 31.03.2026.
- The Committee further observed that the Unit had provided services in the Domestic Tariff Area (DTA) against payment received in Indian Rupees (INR) instead of foreign exchange, as detailed below:

Year	Amount in INR in Crs.
2023-24	1.7482
2024-25	0.5533
Total	2.3015

Since providing of Services in DTA against payment received in INR does not qualify as “Services” as per definition given in Section 2(z) of the SEZ Act, 2005, the Committee noticed that the unit had contravened the provisions of the SEZ Act / Rules and Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 and directed to issue a Show Cause Notice to the unit.

Agenda Item No. 08: Monitoring of Performance for M/s. Amplus Solar Power Pvt. Ltd.

After deliberation, the committee noted the performance of the unit for 5 years i.e. FY 2020-21 to FY 2025-26 of the 1st Block period, in terms of Rule 54 of SEZ Rules, 2006. The details are as under:

- The Unit has achieved export revenue of **Rs. 1.34 Crores** as against projected export of **Rs. 1.81 Crores** in the 5 years i.e. FY 2020-21 to FY 2025-26 of the 1st Block period.
- The unit has achieved a Positive NFE of **Rs. 1.34 Crores** as against the projections of **Rs. 0.70 Crores** i.e. **191.42%** on cumulative basis FY 2020-21 to FY 2025-26 of the 1st Block period.
- The unit has achieved employment of **01 employees (Men-01, Women-00)** as on 31.03.2026.

Meeting ended with a vote of thanks to the Chair

(ज्ञानेश्वर बी. पाटील, आयएएस)
(Dnyaneshwar B. Patil, IAS)

अध्यक्ष-सह- विकास आयुक्त
Chairman-cum- Development Commissioner